Mandal, Shri Sanat Kumar
Masudal Hossain, Shri Syed
Modak, Shri Bijoy
Mukherjee, Shrimati Geeta
Mukherjee, Shri Samar
Pal, Prof. Rup Chand
Parulekar, Shri Bapusaheb
Paswan, Shri Ram Vilas
Pathak, Shri Ananda
Rajan, Shri K.A.
Rajda, Shri Ratansinh
Roy, Shri A.K.
Roy, Dr. Saradish
Roy Pradhan, Shri Amar
Saha, Shri Gadadhar
Sen, Shri Subodh
Shamanna, Shri T.R.
Shastri, Shri Ramavatar
Singh, Shri B.D.
Sinha, Shri Dharam Bir
Unnikrishnan, Shri K.P.
Zainal Abedin, Shri

MR. DEPUTY SPEAKER: Subject to correction, the result * of the division is : Ayes—110 ; Noes—44.

The motion was adopted.

SHRI NIREN GHOSH: As a protest, we walk out.

[*Shri Niren Ghosh and some other members then left the House.*]

16-15 hrs.

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) Sir, I beg to move:†

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

Mr. Deputy-Speaker, Sir, under Section 8A of the Act, an ex-Member does not become eligible for grant of pension unles he has served as such for a minimum period of five years. The actual duration of each of the first three Lok Sabhas was slightly less than five years. Therefore, in spite of serving for one full term of one or other of these Lok Sabhas, some ex-Members are not eligible for the pension. It is, therefore, proposed to provide that a person who has served as aforesaid for a period which falls short of five years by 60 days at the most, may also be paid a pension of of Rs. 300 per mensem.

It is difficult to assess with any degree of accuracy the quantum of additional expenditure that will have to be incurred on this account as we

*The following Members also recorded their votes :

AYES : Shrimati Kesharbai Kshirsagar, Shri Ebrahim Sulaiman Sait and Shri Fatehbhan Singh Chouhan ;

NOES : Shri R. P. Sarangi.

†Moved with the recommendation of the President.

do not know the number of such ex-Members who might become eligible to the pension after this amendment.

Since the Bill is very simple and non-controversial, Sir, I feel and hope that it would receive unanimous support from all sides of the House and may be passed without much discussion.

With these words, I commend this Bill for consideration of this House.

16-20 hrs.

[*Shri Harinatha Misra in the Chair.*]

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): I do not oppose the principle of pension but taking this opportunity I would like to make a few suggestions. I oppose this kind of principle of giving blanket right of pension to all ex-Members of Parliament.

Only last week, we debated the Private Members Bill about the pensioners and at that time the hon. Member Shri Gadgil gave in detail as to how this idea of giving pension started. The main principle that lies behind this pension is that because of age a person is unable to earn his bread by not doing any work. He is unable to lead an honourable life. This pension stands on a different footing from the pension that a freedom fighter gets. The Home Minister said that pension to freedom fighter is granted as a honour and not because of age. This right of pension which is being granted now is a blanket right. A Member of Parliament who comes to the Parliament for four years and ten months irrespective of his age, he gets a right to pension. If a Member of Parliament is getting a pension of Rs. 2,000 —for example some of the High Court Judges who after retirement come to this august House, they may be getting a pension of Rs. 2,000/- will it be proper to tax our treasury by giving this pension to these particular persons ? We may be having some hon. Members who are Ex-maharajas, rajas, who have fat amounts in Banks. They may be getting interest more than the amount which the Member of Parliament gets even now. Should this amount of pension be given to him ?

SHRI B.V. DESAI (Raichur): A Class Advocates also get it.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: That is what I am saying. These things should be reconsidered by the Government. This amount of Rs. 500/- an Ex-Member would be getting. I would like to ask as to how many retired Government servants get this amount of pension and after how many years of their service ? That may be taken into consideration. I am saying so because we should not be subject to any criticism from the public. A person who is elected at the age of 26, he is not re-elected any time than from the age of 31 he starts

getting his pension till his death. This is not in consonance with the meaning of the word 'pension'. My respectful submission is that this is not in consonance with the practice which has been followed with reference to the Members of the Legislatures in other countries.

In this connection I would like to invite the attention of the Government and the Hon. Minister to the position prevailing in other countries in so far as pension is concerned. The other countries consider the theory of contribution by the Member before he gets pension vis-a-vis the age. For example, pension scheme in Japan and in Australia is based on contributions from the salaries of the Members. Typically a fixed percentage is deducted from their monthly salary. In Japan the deduction is 7.6%, in Australia it is 11.5%. Those who make these contributions are entitled to pension after retirement or after they go back home and they are not re-elected. This is not all. In some of the Western countries from whom we have taken on democracy or democratic principles or the Constitution, we find that they have laid down three conditions.

(1) Proportional contribution.

(2) On the basis of certain number of years of parliamentary practice.

(3) On reaching a specified age. It is not that immediately after 34 years of age, if any man once he is elected and he is not re-elected thereafter, he will start getting pension from the Government. It is after 65 years of his age when he becomes aged, when he is not in a position to earn his bread, then that particular pension is given on the basis of his contribution.

Coming to the English system in the House of Commons, we find that a member is entitled to pension if he has put in four years as a member. But the pension starts after he reaches the age of 65, not from 34 to 65, because he would be earning much more. To that extent, this benefit should not be given to them. I request the Hon. Minister to consider this aspect.

In Federal Republic Germany, I find that the benefits are in inverse proportion to the pension: 8 years of service as a member at the age of 65, 12 years of service as a member at the age of 60 and 16 years of service as a member at the age of 55. The idea behind this particular system is, it being the public money, the public exchequer should not be burdened with this particular money when a particular ex-member is in a position to earn his livelihood. We should be above criticism from the public. Therefore, I would say that this particular Act should be scrapped and a comprehensive Bill should be brought forward before the House. The blanket right that has been given to a person who once becomes a member, irrespective of the number of years which he has put in, irrespective of his age, should be removed so that we can say that we are giving this pension, to lead an honourable life, to a person who throughout did not earn any money by doing any profession or business, but he devoted his life entirely to the cause of the country and

that during his old-age he is otherwise not in position to lead an honourable life. That is the spirit behind the pension. We should tell the people and the people will support it.

With these words, I support the principle but not the blanket right. I would again request the Hon. Minister and urge upon the Government to consider these points seriously and see whether a comprehensive legislation on these lines can be brought forward before the House.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): This is a logical and rational approach.

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, मैम्बर्स आफ पालियामेन्ट के पेन्शन का जो बिल सदन के सामने रखा गया है, इसमें एक मामूली सी तरमीम लाई गई है जिसकी रू से किसी भी मैम्बर को जिसकी टर्म 60 दिन कम पड़ती हो, उसको पूरी पेन्शन दी जाएगी। मैं इस उसूल के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। हमारे देश में खास तौर से दो कांस्टीचूएन्सीज ऐसी हैं जोकि मंडी और लद्दाख हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख जम्मू-काश्मीर में हैं, जहां कागजात नामजदगी तो आम चुनाव के साथ दाखिल होते हैं लेकिन चुनाव 6 से 7 महीने तक नहीं हो सकते हैं। बल्कि लद्दाख में तो 7 महीने से ज्यादा अर्से तक इलैक्शन नहीं हो सकते हैं। जो भी मेम्बर इन कांस्टीचूएन्सीज से आयेगा वह इस कानून के तेहत कभी भी पेन्शन का हकदार नहीं बन सकता।

मेरा निवेदन यह है कि आप को इस कानून में कुछ इस तरह से तरमीम करनी चाहिये कि इस में एक एक्सेप्शन-क्लाज इस तरह से जोड़ दिया जाये कि लद्दाख और मंडी कांस्टीचूएन्सी से जो भी मेम्बर चुन कर आयेगा उसके लिये ऐसी पाबन्दी नहीं लगे। आप देखिये- पिछले चुनाव के वक्त हम ने पेपर्ज 7 दिसम्बर को फाइल किये थे, लेकिन चुनाव 11 जुलाई को हुए यानी 7 महीने और चन्द दिनों के बाद चुनाव हुए। लद्दाख में जब भी चुनाव हुए वे कभी भी 7 महीने से पहले नहीं हुए। मुझे उम्मीद है—हाउस के दोनों साइड्स के मेम्बरान इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे।

इसी तरह से मैंने पहले भी इसी ऐवान में कहा था—चाहे सरकारी अफसर रूल बनाने वाला हो या कानून का कोई नुकता बनाना हो—जब भी पहाड़ के इलाकों के लिये या ट्राइबल एरियाज के लिये जो रूल्ज बनते हैं, वे हमेशा उनके खिलाफ बनते आये हैं। कुछ ऐसे प्वाइन्ट्स हैं जिन में उनका इन्टरेस्ट कभी नहीं देखा गया, यह हो सकता कि इन्टेन्शनली न किया गया हो। लेकिन जो रूल्स बनाने वाले हैं या जो कानून बनाने वाले हैं, उनको इन इलाकों की वाकफियत नहीं रहती है कि वहां पर क्या-क्या मुश्किलात हैं। इस तरह के एक, दो केसेज आप की नोटिस में ले आना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर मेम्बर आफ पालियामेन्ट के रेलवे कन्सेशन्ज हैं। मेम्बर आफ पालियामेन्ट को यह सहूलियत मिली हुई है कि वह मुल्क के किसी भी कौने में फ्री-पास से जा सकता है और आ सकता है मगर इस देश में कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां कोई रेलवे का कनेक्शन नहीं है। वहां के जो मेम्बर आफ पालियामेंट हैं, उनको ऐसे रेलवे कन्सेशन से अपनी कांस्टीट्यून्सी

में कोई फायदा नहीं मिलता है। यह भी सहूलियत दी गई है कि हर सेशन के शुरू में और इख्तिताम पर मेम्बर के Spouse यानी एहलिया को एक दफा दिल्ली तक आने और एक दफा जाने का फ्री-पास मिलता है लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारा इलाका साल में 7 महीने कट आफ रहता है और वहां जाने के लिए हवाई जहाज के अलावा और कोई दूसरा मोड़ आफ ट्रांस्पोर्ट नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आप इस मौजू पर क्यों नहीं सोचते कि जो कन्सेशन्स इन जगहों पर नहीं हैं या नहीं मिल सकता है किसी दूसरी फोर्म में आप इन मेम्बरान को कुछ सहूलियत दे सकते हैं क्योंकि आप ने और जगहों के लिए रेलवे का फ्री–पास का कन्सेशन रखा हुआ है। जो सर्दियों के महीने में हैं, उन में तो कम से कम आप उन मेम्बरों को फ्री टिकेट बाई एयर कर सकते है।

दूसरी बात यह है कि यहां पर बहुत सारे आनरेबिल मेम्बर्स हैं, जिन की कांस्टीटुयेन्स में रेलवे लाइनें हैं। मैं यह नहीं कहता कि देश के हर कोने में और हर मेम्बर की कांस्टीटुयेन्सी में रेलवे लाइनें हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पर हैं। इसलिए जिन के यहां रेलवे लाइनें नहीं हैं, वहां के लोगों को बहुत नुकसान है और जहां जहां रेलवे लाइनें हैं, उनको बहुत फायदा है। वे अपनी कांस्टीटुयेन्सी में अपने काम से और लोगों के काम के लिए फ्री आ-जा सकते हैं लेकिन जिन के यहां रेलवे लाइनें नहीं हैं, उनको अपनी जेब से पैसा खर्च कर के जाना पड़ता है। तो यह आप के रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए मेरा सजेश्चन यह है कि नेक्स्ट टाइम; जब भी आप मुनासिब समझें, आप के जो ये रूल्स और एक्ट बने हुए हैं, इनमें तरमीम करने की जरूरत है और आपको इस सारे मौजू पर फिर से सोचने की जरूरत है। आप जम्मू व काश्मीर की मिसाल ले लीजिए। हम जम्मू तक ही रेलवे कन्सेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रीनगर जाइए या वहां के किसी भी कोने में जाइए जैसे पूंछ, डोडा और लद्दाख जाइए, हम को कोई फायदा नहीं है और वहां पर जो ट्रांसपोर्ट है, वह बहुत expensive है। इसलिए उस प्रदेश के मेम्बरों को अपनी कांस्टीटुयेन्सी में घूमने-फिरने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और वे वहां घूम भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम वहां के लोगों के साथ इन्साफ नहीं कर पाते हैं। एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हम अपने यहां के लोगों के साथ इन्साफ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह जो आप का बिल है, इसमें और भी तरमीमें लाने की जरूरत है। इस वक्त तो यह पासीबिल नहीं है कि इसमें कोई चेन्ज लाया जाए, लेकिन बाद में तरमीम लाने की जरुरत है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल की स्प्रिट की ताईद करता हूं लेकिन इस उम्मीद पर कि हमने जो प्वाइन्ट्स रेज किये हैं, किसी और वक्त या नेक्स्ट सैशन में, इन पर तवज्जह देंगे और दूसरी तरमीमें लाए।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

[شری پی - نام گیال (لداخ) :

سبھاپتی جی - ممبرز آف پارلیمینٹ کے پنشن کا جو بل سدن کے سامنے رکھا گیا ہے - اس میں ایک معمولی سی ترمیم لائی گئی ہے - جس کی

ڈ سے کسی بھی ممبر کو - جس کی ٹرم ۹۰ دن کم پڑتی ہو - اس کو پوری پینشن دی جائے گی - میں اس اصول کے خلاف نہیں بولنا چاہتا ہوں - لیکن کچھ باتیں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں - ہمارے دیش میں خاص طور سے دو کانسٹی ٹیونسیز ایسی ہیں - جو کہ منڈی اور لداخ ہے - منڈی ہماچل پردیش میں اور لداخ جموں کشمیر میں ہے - جہاں کاغذات نامزدگی تو عام چناؤ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں - لیکن چناؤ ۶ سے ۷ مہینے تک نہیں ہو سکتے ہیں - بلکہ لداخ میں تو ۷ مہینے سے زیادہ عرصہ تک الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں - جو بھی ممبران کانسٹی ٹیونسیز سے آئے گا - وہ اس قانون کے تحت کبھی بھی پنشن کا حقدار نہیں بن سکتا - میرا نویدن یہ ہے کہ آپ کو اس قانون میں کچھ اس طرح سے ترمیم کرنی چاہئے کہ اس میں ایک ایکسپشن کلاز اس طرح سے جوڑ دیا جائے تاکہ لداخ اور منڈی کانسٹی ٹیونسیز سے جو بھی ممبر چن کر آئے گا اس کے لئے ایسی پابندی نہیں لگے - آپ دیکھئے - پچھلے چناؤ کے وقت ہم نے پیپرز ۷ دسمبر کو فائل کئے تھے - لیکن چناؤ ۱۱ جولائی کو ہوئے - یعنی ۷ مہینے اور چند دنوں کے بعد چناؤ ہوئے - لداخ میں جب بھی چناؤ ہوئے - وہ کبھی بھی ۷ مہینے سے پہلے نہیں ہوئے - مجھے امید ہے کہ ہاؤس کے دونوں سائڈز کے ممبران اس کی مخالفت نہیں کریں گے -

اسی طرح سے میں نے پہلے بھی اسی ایوان میں کہا تھا - چاہے سرکاری رول بنانے والا ہو یا قانون کا کوئی نکتہ بنانا ہو - جب بھی پہاڑ کے علاقوں کے لئے یا ٹرائبل ایریاز کے لئے جو رولز بنتے آئے ہیں - وہ ہمیشہ اُن کے خلاف بنتے رہے ہیں - کچھ ایسے پوائنٹس ہیں - جن میں اُن کا انٹرسیٹ کبھی نہیں دیکھا گیا ہے - ہو سکتا ہے کہ انٹینشنلی نہ کیا گیا ہو - لیکن جو رولز بنانے والے ہیں - اُن کو اِن علاقوں کی واقفیت نہیں رہتی ہے کہ وہاں پر کیا کیا مشکلات ہیں - اِسی طرح کے ایک دو کیسز آپ کے نوٹس میں لے آنا چاہتا ہوں - مثال کے طور پر ممبر آف پارلیمینٹ کے ریلوے کلیکشن ہیں - ممبر آف پارلیمینٹ کو یہ سہولیت ملی ہوئی ہے کہ وہ ملک کسی بھی کونے میں فری پاس سے جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے - مگر اِسی دیش میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں - جہاں کوئی ریلوے کا کلیکشن نہیں ہے - وہاں کے جو ممبر آف پارلیمینٹ ہیں - ان کو ایسے کلیکشن سے اپنی کانسٹی ٹیونسی میں

کوئی فائدہ نہیں ملتا ھے - یہ بھی سہولیت دی گئی ھے کہ ھر سیشن کے شروع میں اور اختتام پر ممبر کے Spouse یعنی اہلیہ کو ایک دفعہ دھلی تک آنے اور ایک دفعہ جانے کا فری پاس ملتا ھے - لیکن ھماری بدقسمتی یہ ھے کہ ھمارا جو علاقہ سال میں ۷ مہینے کٹ آف رھتا ھے اور وھاں جانے کے لئے ھوائی جہاز کے علاوہ کوئی دوسرا موڈ آف ٹرانسپورٹ نہیں ھے - تو میرا کہنا یہ ھے کہ آپ اِس موضوع پر کیوں نہیں سوچتے کہ جو کنیکشن اِن جگہوں پر نہیں ھے یا نہیں مل سکتا ھے - کسی دوسری فارم میں آپ اِن ممبران کو کچھ سہولیت دے سکتے ھیں - کیونکہ آپ نے اور جگہوں کے لئے ریلوے کے فری پاس کا کنیکشن رکھا ھوا ھے - سردی کے مہینے میں تو کم سے کم آپ اور ممبروں کو فری ٹکٹ بائی ایر کر سکتے ھیں -

دوسری بات یہ ھے کہ یہاں پر بہت سارے آنریبل ممبرز ھیں - جن کی کانسٹیٹیوانسی میں ریلوے لائین ھیں - میں یہ نہیں کہتا کہ دیش کے ھر کونے میں اور ھر ممبر کی کانسٹیٹیوانسی میں ریلوے لائین ھیں - لیکن بہت ساری جگہوں پر ھیں - اِس لئے جن کے یہاں ریلوے لائین نہیں ھیں - وھاں کے لوگوں کو بہت نقصان ھے اور جہاں جہاں ریلوے لائین ھیں ان کو فائدہ ھے - وہ اپنی کانسٹیٹیوانسی میں اپنے کام سے اور لوگوں کے کام سے فری آ جا سکتے ھیں - لیکن جن کے یہاں ریلوے لائین نہیں ھیں ان کو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرکے جانا پڑتا ھے - تو یہ آپ کے رولز میں ڈسکریمینیشن ھے - اس لئے میرا سجھاؤ یہ ھے کہ نیکسٹ ٹائم، جب بھی آپ مناسب سمجھیں آپ کے جو یہ رولز اور ایکٹ بنے ھوئے ھیں - ان میں ترمیم کرنے کی ضرورت ھے اور آپ کو اِس سارے موضوع پر پھر سے سوچنے کی ضرورت ھے ۔ آپ جموں - کشمیر کی مثال لے لیجئے - ھم جموں تک ھی ریلوے کنیکشن استعمال کر سکتے ھیں - سرینگر جائیے یا وھاں کے کسی بھی کونے میں جائیے - جیسے پونچھ، ڈوڈا اور لداخ جائیے - ھم کو کوئی فائدہ نہیں ھے اور وھاں پر جو ٹرانسپورٹ ھے وہ بہت expensive ھے - اس لئے اس پردیش کے ممبروں کو اپنی کانسٹیٹیوانسی میں گھومنے پھرنے کے لئے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ھے اور وھاں گھوم بھی نہیں سکتے ھیں - ایکسپینسیو ٹرانسپورٹ ھونے کی وجہ سے ھم اپنے یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے ھیں - اس لئے کہنا یہ ھے کہ یہ جو آپ کا بل ھے - اِس میں اور بھی ترمیمیں لانے کی ضرورت ھے - اِس وقت تو یہ

پاسبل نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج کیا جائے - لیکن بعد میں ترمیم لانے کی ضرورت ہے -

انت میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس بل کی سپورٹ کی تائید کرتا ہوں - لیکن اس امید پر کہ ہم نے جو پوائنٹس ریز کئے ہیں - کسی اور وقت یا نیکسٹ سیشن میں اُن پر توجہ دینگے اور دوسری ترمیمیں لائینگے -

ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کی تائید کرتا ہوں -]

16-34. **श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत)** : माननीय सभापति जी, जैसा कि श्री पवलेकर जी ने कहा है कि किसी बेस पर, किसी आधार पर जैसे और दूसरे मुल्कों में पेन्शन का हिसाब है, वैसा ही कोई आधार यहां बनाया जाता तो अच्छा था।

जिस किसी सदस्य ने पार्लियामेंट की मैम्बरी पांच साल कर ली हो, पांच साल किसी ने पार्लियामैंट की सेवा कर ली हो, तो उसे आप पेन्शन देते हैं। यही आपका क्राइटीरियन है लेकिन उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है, जो यहां पर पांच साल के लिए चुन कर आए थे और दो, ढाई साल में ही यहां से चले गये क्योंकि लोक सभा भंग कर दी गई। इसी तरह से विधान सभा भंग कर दी जाती है। वे लोग तो यहां पर पांच साल के लिए चुन कर आए थे। और उनको पेंशन नहीं मिले तो इसमें उनका कौन-सा दोष हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। एक पार्टी की वजह से, उसके डिक्टेटराना व्यवहार, उसकी निरंकुशता की वजह से जो लोग पांच साल के लिए चुन कर आये, अगर उनका टर्म पहले ही समाप्त हो जाता है तो उनको अपराधी मानकर सजा नहीं दी जानी चाहिए या फिर जैसा कि पवलेकर जी ने कहा कि इसके लिए वही आधार बनाएं जैसा कि दूसरे देशों में बनाया गया है। पांचवीं लोक सभा की कमेटी आन दी सेलरीज एण्ड अलाउंसिज आफ मेम्बर्स आफ पालियामेंट ने इस विषय में विचार किया था और कहा था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल आपने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। उसके विरुद्ध मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी मेम्बर्स की सुविधाओं के बारे में इस हाउस में जिक्र नहीं हो पाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी का ध्यान उन कमियों की ओर गया है जो कि इस एक्ट में हैं। यह जो छठी लोक सभा ने कमेटी बनायी थी और उसने जो रिकमन्डेशंस दी थीं क्या उनकी तरफ भी आप का ध्यान गया है? हम यहां से अण्डमान निकोबार जाना चाहें तो हमें हावड़ा तक तो रेल मिल जाएगी लेकिन वहां से अण्डमान निकोबार, अगर वह हिन्दुस्तान का भाग है—जाने के लिए स्टीमर में फ्री नहीं जा सकते। वहां के लोग फ्री आ सकते हैं। ऐसी ही स्थिति दूसरी आईलैंडस के बारे में भी है जो कि हिन्दुस्तान के सन्निकट हैं।

हम अपनी पत्नी को केवल एक बार सेशन में ला सकते हैं और एक बार वापिस ले जा सकते हैं। अगर सेशन चार महीने का होता है तो चार महीने में एक बार ले आ सकते हैं और एक बार ले जा सकते हैं।

मंत्रीं लोग तो ऐसा शायद कई बार कर सकते हों लेकिन हम नहीं कर सकते। अगर आप एक प्रथम श्रेणी के पास की बजाए दो प्रथम श्रेणी के पास कर दें तो बहुत सुविधा हो सकती है। यह ठीक है कि बहुत से लोग यह बात कह नहीं पायेंगे लेकिन उनके मन में यह भावना जरूर है। इसके न होने से दिमागी परेशानी रहती है।

अभी जो नयी कमेटी बनी है और उसने जो रिकमण्डेशन की है उसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आजकल मंहगाई का जमाना है। जब हम लोग अपनी कांस्टीच्युएंसी में आ जाते हैं तो वहां अगर हमें जीप की सुविधा हो जाए, उसमें हम डीजल वगैरह डलवालें अपनी तरफ से तो भी हमें बड़ी सुविधा हो सकती है। वहां पर हम पहले से लिख दें कि हम उस दिन आ रहे हैं और वहां हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जीप मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो सकता है। आजकल एक जीप 80 हजार रुपये से कम में नहीं आती है। अगर आप मेम्बर आप पालियामेंट के लिए ऐसी व्यवस्था करवा दें तो उन्हें बड़ी सुविधा हो सकती है। मैंने सुना है कि महाराष्ट्र गवर्नमैंट के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है। उसी प्रकार की सुविधा अगर दूसरी स्टेट्स भी मेम्बर्स आफ पालियामेंट को अपनी कांस्टीच्युएंसी में जाने के लिए दे दें तो बड़ा अच्छा हो।

एक बात मैं और नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। ये जो हमारे साऊथ और नार्थ एवेन्यू के फ्लैट्स हैं ये धर्मशालाओं से भी बदतर हो गये हैं। क्या मंत्री जी आपने और आपके बड़े मंत्री जी ने कभी उनका दौरा करके देखा है कि आपके एम० पीज० लोग उन फ्लैट्स में किस तरह से रहते हैं? क्या आपने उन्हें फ्लेट दे कर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली है? मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का मेम्बर था। वहां के मिनिस्टर्स लोग दौरा लगा कर वहां के एम० एल० एज० की तकलीफों को देखा करते थे। यह देखा करते थे कि वे कैसे रह रहे हैं, उनको तकलीफ तो नहीं है। लेकिन यहां पर आकर पता चला कि यहां तो कोई अफसर तक नहीं आता तो मंत्री कौन आएगा।

मुझे एक साल से ज्यादा हो गया है जब मुझे कमरा नम्बर 36 दिया गया, लेकिन आज तक उसकी पुताई नहीं हुई है। उसकी छत टपक रही है और सारी की सारी दीवारें बुरी तरह से फूल गई हैं, उनका चूना गिर गया है और मैं कहते-कहते परेशान हो गया, लेकिन आज तक उसकी पुताई नहीं हुई है। अभी दस दिन पहले फिर कहा है, जवाब मिला कि आज आएंगे-कल आएंगे, आज-कल करते-करते आज हो गया है, लेकिन पुताई नहीं हुई। फैमली को घर से बुलाकर इसलिए रखा हुआ है कि कोई पोतने आएगा तो कोई आदमी वहां पर होना चाहिए, लेकिन वह भी बेकार गया, क्योंकि अब 3 दिन में तो पुताई हो नहीं सकती।

यही नहीं 10 दिन हो गए हैं जब मैंने बिजली के बल्ब लगाने के बारे में लिखा था, दो बल्ब फ्यूज हो गये हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कभी-कभी आप चक्कर लगा लें कि वहां पर क्या हालत है। आपका पानी तो हमको बहुत मार रहा है, आपको तो जीवन दे रहा है, कहते हैं कि पानी जीवन देता है, लेकिन हमको तो मार रहा है। कहते हैं कि इसमें वाल्व होता है जो आगे सरक जाता है, पीछे सरक जाता है, इसकी तकनीक में दो

[श्री हरीश कुमार गंगवार]
मैं नहीं जा सकता, लेकिन हमारा पानी का बिल बहुत आता है। 60-70 रुपए महीना पानी का बिल आता है। पता नहीं यह पानी कहां चला जाता है, हम तो इस्तेमाल नहीं करते।

इसी प्रकार से बिजली की हालत है। बिजली वाले को कहते हैं, वह नहीं आता, पुताई वाले को कहते हैं तो पुताई वाला नहीं आता, फर्नीचर वाले को कहते हैं, वो नहीं आता। एक दिन मैंने पूछा कि क्यो नहीं आते तो जवाब मिला कि 11 बजे आदमी गया था तो आप मिले नहीं। अब आप ही बताइए कि अगर हमको कोई कालिग अटेंशन मोशन या अडजर्नमेंट मोशन देना है तो सुबह साढ़े 9 बजे ही वहां से आना पड़ता है और कौन सा पालियामेंट का मेम्बर है जो अपनी ड्यूटी समझता है और 11 बजे वहां पर वह मौजूद रहेगा।

उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम की अलग-अलग शिफ्टें बनाई गई हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक काम होता है और शाम को फिर काम होता है, जिससे दोनों समय काम हो सके। क्या आप इस तरह का कोई इन्तजाम नहीं कर सकते?

एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जितना भी बढ़िया-बढ़िया माल होता है वह तो असिस्टेंट इन्जीनियर और अन्य अफसरों के यहां ही रह जाता है, ये कहां ले जाते हैं यह पता ही नहीं चलता। कोई नया सामान नहीं दिया जाता। निवाड़ के पलंग कहते हैं तो वे भी नहीं हैं, गद्दे कहें तो कहते हैं नहीं हैं, दरी मांगें तो नहीं है, सब पुरानी ही मिलेंगी, चेअर्स पुरानी मिलेंगी, पर्दे पुराने मिलेंगे, मेजें पुरानी मिलेंगी, साउथ एवन्यू में तो यही इन्तजाम है, नार्थ एवेन्यू में कुछ अच्छा हो तो मैं नहीं कह सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : ठीक यही हालत है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : पानी टंकी ओवर-फ्लो करती रहती है। लिखने से काम नहीं होता, क्या करें, लेकिन बिल हमारे सिर पर आता है। क्या चैकिंग करने वाले तीसरे-चौथे दिन नहीं आ सकते? हां यह जरूर देखा है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी शाम को चौराहे पर बैठ कर शराब पिया करते हैं, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है।

मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मंत्री जी बहुत समझदार आदमी हैं, लेकिन एक बार कम से कम सब जगह का जायजा तो ले लिया कीजिए कि आपके जो मेम्बर लोग हैं, साथी हैं, ये किन हालातों में रहते हैं। कभी आप भी रहे होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब बातों को देखें।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ऊपर वाले फ्लैट्स हैं इनमें गर्मी बहुत रहती है। इसमें क्रास-वेंटीलेशन नहीं है। क्या आप ऐसा कोई उपाय कर सकते हैं कि हम लोगों को कुछ राहत मिले। एयर कंडीशनर में तो खर्चा बहुत आएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भत्ता न बढ़ाएं, सैलरी न बढ़ाएं।

यह हमारे जो फ़र्निश्ड फ्लैट्स हैं इसको फ्री कर दें, बिजली और पानी फ्री कर दें। उसका कोई पैमाना आप बना लें कि इतना फर्नीचर फ्री होगा और अगर आपको न आता हो, यहां लोग कम अक्लमंद हों तो यू० पी० सरकार से मंगवा लें वह सब चीज फ्री कर देंगे। फ्लैट फर्नीचर फ्री। और आपने शायद यह भी समझ रखा है कि हर एम० पी० को सिखाया जाय हाथ से झाड़ू कैसे

लगायी जाती है। हमको कोई ऐसा आदमी नहीं दिया जो कमरे में झाडू लगाये। अगर आप हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं झाडू लगाने की तब तो ठीक है। हमको चाय मंगवाने के लिये आदमी नही मिलता है। हम अगर घर से अपनी फैमिली को लाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और यह हो नहीं सकता कि एक फैमिली यहां रखें और दूसरी फैमिली वहां रखें, यानी डबल ऐस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते। तनख्वाह आप हमको इतनी देते हैं कि उसमें खाना और टैक्सी का खर्चा ही नहीं चलता, तो दो फैमिली कहां से रखेंगे। इसलिये आप यू० पी० सरकार के स्टेट अफसर से आदमी मंगवा लीजिये, वह आप को बता देंगे कि क्या क्या चीज फ्री देते हैं। कैसे मैनेज करते हैं बिजली और पानी फ्री।

सभापति महोदय : जो विधेयक है उसका बहुत सीमित क्षेत्र है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उसी से सम्बन्धित बात कर रहे हैं आप क्यों फिक्र कर रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : यह बिल जो है इसका मुंह छोटा या बड़ा करें यह हमारा काम है।

सभापति महोदय : लेकिन मेरा भी तो काम है कि आपको सही राह पर ले चलूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपने जल्दी खत्म करने को कहा, वह मैं कर रहा हूं। जितना यहां एक मैम्बर को मिलता है उतना ही यू० पी० में मिलता है, वह भी 1,500 रु० दे रहे हैं, कोई कटौती नहीं। पेंशन भी उतनी ही मिलती है। अलाउंस में जरूर थोड़ा फर्क है, आप 51 रु० देते हैं, यू० पी० में 41 रु० देते हैं। लखनऊ में 1 रु० में आदमी अमीनाबाद रिक्शा में पहुंच जाता है और ढाई-तीन रु० में भोजन कर सकता हैं, जब कि यहां दिल्ली में 20-25 रु० से कम में भोजन नहीं हो सकता। इस लिये आप मंत्री जी कभी साउथ ऐवेन्यू का दौरा कर लें और इन धर्मशालाओं को देख लें जहां हम लोग रहते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यह पेंशन बिल जो प्रस्तुत है उसमें केवल उन लोगों के लिये कुछ व्यवस्था है जो 60 दिन कम एम० पी० रहते हैं और अब तक कोई पेंशन नहीं मिलती थी। उनके लिये कुछ प्रावधान किया है। मगर दूसरी व्यवस्थायें जो होनी चाहियें उनके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। जो पार्लियामेंट का मैम्बर एक दफा चुन कर दुबारा नही आता है उसको किस प्रकार की फैसिलिटीज मिलनी चाहिये ? एक तो रेलवे पास उसको मिलना चाहिये। जैसे कि पार्लियामेंट का मैम्बर होता है उसी प्रकार का रेलवे पास उसको बराबर मिले ताकि व्यवस्था बराबर चलती रहे। मैडिकल फैसिलिटी भी आवश्यक है। जब आप सरकारी कर्मचारी को जो रिटायर हो जाता है उसको यह फैसिलिटी देते हो तो पार्लियामैंट का मैम्बर जो रिटायर हो जाय उसके बाद उसको और उसके परिवार के लोगों को मैडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिये। अगर नहीं मिलती है तो निश्चित तरीके से उसके बाद का समय काफी खराब निकलता है। यह एक बहुत आवश्यक चीज है।

तीसरी बात यह कि जो पार्लियामेंट का मैम्बर आज काम कर रहा है उसको वह फैसिलिटीज मिलनी चाहियें जिसकी वजह

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

से वह ऐफिशियेंटली काम कर सके। दूसरे देशों में आप देखिये चाहे अमरीका हो या इंगलैंड वहां पार्लियामैंट के सदस्य को पी० ए० मिलता है, अन्य प्रकार की और सुविधायें मिलती हैं जिससे वह अपनी कांस्टीट्यूऐंसी के बारे में या पार्लियामैंट के सम्बन्ध में जैसे किसी बिल पर बोलना है या उसके पास जो हिन्दुस्तान भर से डाक आती है उसको किस प्रकार से निपटाये उसके सम्बन्ध में अगर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो निश्चित तौर पर पार्लियामैंट का सदस्य ऐफीशियेटली काम कर सकता है। यह व्यवस्था नितान्त आवश्यक है और निश्चित तरीके से इसको करना चाहिये।

मेरा निवेदन यह है कि एक कांस्टीटुएन्सी 10 लाख की होती है। एक एम०एल०ए० भी अपनी कांस्टीटुएन्सी में नहीं घूम सकता है, तो पार्लियामैंट का मैम्बर किस तरह से इतनी बड़ी कांस्टीटुएन्सी में घूम सकता है? जितने भी पे और एलाउन्स हमको मिलते हैं, वह सब खर्च करके भी हम अपनी कांस्टीटुएन्सी में घूमें तो उससे भी काम नहीं चल सकता है। इसलिये कुछ व्यवस्था होनी चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जो डिस्ट्रिक्ट पूल की जीपें रहती हैं, वह पार्लियामैंट के खाते में हमको अपनी कांस्टीटुएन्सी में घूमने के लिये मिलनी चाहियें ताकि हम अपने क्षेत्र के लोगों को देख सकें और उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश कर सकें। यह व्यवस्था भी नितान्त आवश्यक है।

परिवार के सदस्यों को लाने के सम्बन्ध में आप तो केवल हमको एक पास दे देते हैं कि आप रेल से अपने स्थान से यहां आ जाओ और यदि सैशन चले तो पत्नी को भी ले आओ, उसके लिये भी पास देते हैं। बाकी बाल बच्चे किस तरीके से लाये जायें, इसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। जो मैम्बर अपने बच्चों को यहां लाना चाहते हैं, वह अपनी गांठ का पैसा देकर किराया देकर यहां ला सकते हैं। बाकी सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को नहीं ला सकते हैं।

जब किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट का ट्रांसफर होता है तो वह सब बच्चों को ले जाता है, इसके लिये उसको पैसा मिलता है, मगर पार्लियामैंट का मैम्बर चुनकर आता है फिर भी उसके परिवार के लोगों के लिये कोई सुविधा नही है। इसके लिये भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये तब जाकर यह सारी व्यवस्था ठीक बैठेगी।

फर्नीचर वगैरा की जो सुविधा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सब जगह कोई विधान सभा ऐसी नहीं है जिसमें पार्लियामैंट से कम पैसा मिलता हो, चाहे डी० ए० हो या सैलरी हो। कोई भी विधान सभा सदस्य हमसे कम पैसा नहीं पा रहा है, हर जगह हमसे ज्यादा पैसा उन्हें मिलता है। वहां डी० ए० और सैलरी ज्यादा मिलती है मगर पार्लियामैंट के मैम्बरों को जिस प्रकार की व्यवस्था में डाल रखा है, उससे वह एफीशियेन्टली काम नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव तो नहीं है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से आप को सोचना चाहिये और कुछ करना चाहिये।

माननीय सदस्य ने हमारी हालत के बारे में बहुत कुछ बतलाया। न तो हमारे रैंजीडेंस पर कोई फराश है और न ही कोई दूसरी व्यवस्था है। हमें चाहे कोई कमरा मिले, नार्थ एवेन्यु या साउथ एवेन्यु में या किसी कालोनी में मकान मिले, हमको स्वयं अपने कमरे की सफाई करनी पड़ती है। इस

तरह की कोई व्यवस्था हमारे मकानों में नहीं है। ऐसी व्यवस्था भी कराई जानी चाहिये।

एफीसियेंटली काम करने के लिये जिन सुविधाओं का मैंने जिक्र किया है, उस प्रकार की सुविधाएं दिलाई जायें ताकि हम ठीक प्रकार से अपने देश की सेवा कर सकें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): सभापति महोदय, पेंशन देने के सिद्धान्त को बहुत सोच-समझकर निश्चित किया गया था। मैं इस सिद्धान्त को सही समझता हूं। कुछ लोग जो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होते, वे हारने के बाद घर बैठ जाते हैं या कोई और धन्धा करते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वे सिद्धान्त की बात को लेकर पेंशन देने का विरोध करते हैं।

मैं बहुत छोटी उम्र से एक कार्यकर्ता रहा हूं। इस बीच में मैं तीन साल पालियामेंट का मेम्बर नहीं था और पेंशन लेता था। अगर मुझे वह पैन्शन न मिलती होती, तो शायद मेरे लिए काम करना मुश्किल होता। मेरी तरह के पालियामेंट या एसेम्बलीज के मेम्बर बड़ी संख्या में हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी (वाराणसी): क्या माननीय सदस्य को दो पैन्शन मिलती हैं?

श्री रामावतार शास्त्री: अभी तक तो नहीं मिलतीं, लेकिन मिलनी चाहिए। स्वतन्त्रता सेनानी वाली पेन्शन अलग है, लेकिन वह नहीं मिलती है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर): एक अजीब एनामेली है कि जहां तक स्वतन्त्रता सेनानियों को मिलने वाली पेन्शन का सम्बन्ध है, अगर कोई सदस्य चुनाव हार जाता है, तो उसको एक ही पेन्शन मिलती है, और अगर वह चुनाव जीत जाता है और मंत्री बन जाता है, जैसे ज्ञानी जैल सिंह हैं, तो उसको पूरी तन्ख्वाह और भत्ते भी मिलते हैं और स्वतंत्रता सेनानी की पेन्शन भी मिलती है।

श्री रामावतार शास्त्री: पेन्शन के प्रश्न को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि कोई जहां काम करता है, या एक राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में बाहर काम करता है, वह जनता का काम करता है। अगर कल हम पालियामेंट के मेम्बर न रहें, तो हम अपने विचार के मुताबिक बाहर जनता की सेवा करेंगे। फर्ज कीजिए कि मेरी हालत बहुत खराब है, तो ऐसी हालत में मुझे राजनैतिक काम छोड़कर किसी दूसरे धंधे में जाना पड़ेगा। यह हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भूतपूर्व सदस्यों को पेन्शन देने का नियम ठीक है और मैं इसे सही समझता हूँ। ज्यादातर मुल्कों में भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन देने का सिद्धान्त है। काफी अगर-मगर करने के बाद यहां यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया। मैं उन लोगों में से हूं, जिनके बारे में श्री गंगवार ने कहा है। इस संशोधन के फलस्वरूप उन सदस्यों को भी पेन्शन मिल सकेगी, जिनकी सदस्य के रूप में अवधि पांच वर्ष में अधिक से अधिक साठ दिन कम है। इस तरह 1952, 1957 और 1967 तक के उन सदस्यों को पेन्शन मिलेगी, जिनकी अवधि पांच साल से कुछ दिन कम है। मैं जानता हूं कि 1952 और 1957 के बहुत से सदस्यों को पेन्शन नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी अवधि पांच साल से कुछ दिन कम है। लेकिन 1967 के बाद के ऐसे भी बहुत से सदस्य हैं, जिनका स्वयं का कोई कुसूर नहीं है। कभी इन्दिरा जी ने लोक सभा को डिजाल्व कर दिया और कभी श्री चरण सिंह ने डिजाल्व कर दिया। जो सदस्य पांच

[श्री रामावतार शास्त्री]

साल तक लोक सभा में रह सकते थे और वर्तमान कानून के अनुसार पेन्शन के अधिकारी होते, इन दोनों नेताओं द्वारा लोक सभा को भंग करने के कारण वे पेन्शन के अधिकारी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि उनमें से ज्यादातर विभिन्न दलों के राजनैतिक कार्यकर्ता हैं—यह दल का प्रश्न नहीं है—और राजनैतिक काम कर रहे हैं। मैं उनकी कठिनाइयों को जानता हूं। पार्टियां उनको पैसा नहीं दे सकती हैं और घर वाले भी नहीं दे सकते हैं। घर वाले तो उनसे मांगते हैं।

इस प्रकार संसद् और विधान मंडलों के उन भूतपूर्व सदस्यों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस बारे में कोई शर्त न रख कर एक टर्म को मानना चाहिए। कोई पांच साल सदस्य रहे, या प्रधान मंत्री द्वारा लोक सभा को भंग कर देने से तीन साल सदस्य रहे, उसको पेन्शन देनी चाहिए। सरकार को इस सिद्धान्त पर विचार करना चाहिए।

यह जो संशोधन किया जा रहा है, वह ठीक है। इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इस प्रश्न को किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखेंगे। 5 बजे का समय श्री आर० के० महालगी के प्रस्ताव के लिए निश्चित किया हुआ है। अब श्री आर० के० महालगी अपना प्रस्ताव पेश करेंगे।

17-00 hrs.

MOITON RE MODIFICATIONS IN NOTIFICATION ABOUT NARMADA WATER SCHEME

MR. CHAIRMAN: It is 5 O' clock. We now take up Mr. R.K. Mhalgi's Motion.

SHRI R.K. MHALGI (Thane): I beg to move;

"That this House resolves that in pursuance of sub-section (7) of section 6-A of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the following modifications be made in the Notification regarding the Narmada Water Scheme, published in the Gazette by Notification No. S.O. 770 (E) dated the 10th September, 1980 and laid on the Table of the House on the 18th November, 1980.—

(i) in paragraph 16, after sub-paragraph (1) *insert*,

'(1-A) Any disagreement by the concerned State Governments regarding the recommendations of the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee shall also be referred to the Review Committee and the decision of the Review Committee shall be final and binding on all the concerned States'.

(ii) after paragraph 16, *insert*,

'16-A. Nothing contained in this Notification shall prevent the alternation, amendment or modification of all or any of the foregoing provisions by agreement bet-